Kashmir Valley. However, no oil or gas bearing horizons were encountered in these wells. Another Well Suruinsar-1 was also drilled by ONGC on the Suruinmastgarh structure in Jammu. This well was projected to a depth of 6,000 metres but further drilling could not be continued after the depth of 3,665 metres due to abnormal subsurface pressure conditions. No oil or gas bearing horizons were encountered up to the depth drilled in this well Presently, further geo-scientific work is being continued by the ONGC and one geological exploration party is carrying out semi-detailed investigations in the Tertiary belt of J & K State.

(b) As at (a) above.

(c) An amount of Rs. 668.42 lakhs including depreciation (Rs. 166.02 lakhs) has been spent to date on exploratory drilling in J. & K.

उर्वरकों में आत्म-निर्भरता

3026. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने उर्वरकों के मामले में आत्म-निर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जब कि उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन वर्षों से काफी बढ़ा है, परन्तु उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए यह उत्पादन अभी पर्याप्त नहीं है । स्वदेशी उर्वरक क्षमता में वृद्धि लाने के लिए बड़े पैमाने के कार्यक्रम के अंश के रूप में 11 बड़े आकार वाली उर्वरक परियोजनाएं अभी कार्यान्वयनाधीन हैं । इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ उर्वरक क्षमता जो अब 32.59 लाख मी० टन नाइट्रोजन तथा 10.80 लाख मी० टन पी$_2$ओ$_5$ की है बढ़कर 1981-82 तक लगभग नाइट्रोजन की 53 लाख मी० टन तथा पी$_2$ओ$_5$ की 13 लाख मी टन हो जायगी । परन्तु चूंकि इस क्षमता से उत्पादन छठी योजना अवधि के अन्त तक उर्वरकों की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उर्वरक क्षमता के विस्तार के लिए आगे और कार्यक्रम को बहुत जल्द अन्तिम रूप देने के लिए भर सक प्रयत्न किए जा रहे हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गैस पर आधारित चार बड़े आकार वाले उर्वरक संयंत्र, दो महाराष्ट्र तथा दो गुजरात में और गैस पर आधारित एक बड़े आकार वाला उर्वरक संयंत्र असम में स्थापित करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त, मैसर्स इंडियन एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड को कानपुर में अपनी विद्यमान क्षमता के भारी विस्तार करने के लिए एक आशय पत्र भी दिया गया है ।

विज्ञापन एजेंसियों का संचालन कर रहे आकाशवाणी के कलाकार

3027. श्री डी० एस० नेगी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के कुछ कलाकार, अधिकारी और भूतपूर्व कलाकार विज्ञापन एजेंसियों का संचालन कर रहे हैं और विज्ञापन कार्यक्रमों में अपनी आवाज भी रिकार्ड करवाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या नियमों के अन्तर्गत ऐसा करने की अनुमति है और यदि नहीं, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आकाशवाणी के भूतपूर्व कर्मचारी जो विज्ञापन एजेंसियों का संचालन करते हैं दिल्ली के राजपत्रित अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखते हैं और अपने परिचय का लाभ उठाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसे रोकने के लिए सरकार कुछ उपाय कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख). जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, कोई भी स्टाफ आर्टिस्ट या अधिकारी विज्ञापन एजेंसियों का संचालन नहीं कर रहे हैं और न ही वे विज्ञापन कार्यक्रमों के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं । तथापि, दूरदर्शन में, एक स्टाफ आर्टिस्ट ने आकाशवाणी से प्रसारित एक हिन्दी वाणिज्यिक विज्ञापन में अपनी आवाज दी थी । संबंधित आर्टिस्ट को सलाह दी गई है कि वह इस प्रकार का काम आगे न करे ।

नियमों के अन्तर्गत भूतपूर्व स्टाफ आर्टिस्टों या सेवानिवृत्त अधिकारियों को विज्ञापन एजेंसियों का संचालन करने या अपनी आवाज देने की मनाही नहीं है ।

(ग) इस प्रकार का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Reservation of Jobs for S.C. and S.T. in High Courts

3028. SHRI P. K. KODIYAN:
SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:
SHRI G. M. BANATWALLA:
SHRI SHANKERSINHJI VAGHELA:
SHRI NIHAR LASKAR:
SHRI R. V. SWAMINATHAN:
SHRI DHERENDRANATH BASU:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that High Courts of only a few States have accepted the Centre's suggestion for reservation of jobs for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the junior as well as higher judicial servises;

(b) if so, what are the reasons for the non-acceptance of the Centre's suggestion by majority of the High Courts; and

(c) what steps Government propose to take to see that the principle of reservation for scheduled Castes and Scheduled Tribes is accepted and implemented in the junior as well as higher judicial services throughout the country?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) to (c). According to the latest information furnished by the State Governments/High Courts, there is reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in direct recruitment to the lower judicial services in the States of Andhr Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Kerala, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal, and in the higher judicial services in the States of Andhra Pradesh, Assam, Kerala, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh.

A majority of the States have thus introduced provision for reservation in the lower judicial services. The question of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Judicial Services falling under various High Courts, was discussed recently in the 8th meeting of the High Power Committee under the Chairmanship of the Prime Minister. The High Power Committee decided that the matter may be pursued further with the States and the High Courts. Accordingly, it is proposed to address them in the matter.

Machines idle at Rourkela

3029. SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) is it a fact that the SAIL is supplying 10 to 16 thousand tonnes of coil to Kalinga Tubes through a recent deal and coils are also being supplied to Tata's Tinplate Company;

(b) if so, whether as a result of this machine and manpower in the Rourkela Plant remain idle;

(c) in view of this what is Government's policy towards public sector steel plant at Rourkela; and

(d) if so, the steps Government propose to take against them and details thereof?